

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सम्बन्धित प्रायः जासासदीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुगम्य सेवा विवृति का लाभ उपलब्ध कराने जायेगा ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) निवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्धित प्रश्न संस्थाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त शर्तियों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त शर्तियों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनार्षित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बाबू राम)

अनु सचिव ।

पत्र सं-4005/15-7-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, माँ भगवती पब्लिक स्कूल वयु विहार कालोनी, पथौली, आगरा ।
- 6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बाबू राम)

अनु सचिव ।

*Asharma*

Principal  
Maa Bhagwati Public School  
Vayu Vihar Patholi, Agra  
Affiliation No:-2130812

*Asharma*  
Manager

Maa Bhagwati Public School  
Vayu Vihar Colony, Patholi (Agra)

प्रेषक,

दाबू राम,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रोति विहार, नईदिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 24 नवम्बर, 2005

विषय :- मां भगवती पब्लिक स्कूल वायु विहार कालोनी, पथौली, आगरा को सी०बी०एस०  
ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का  
निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु  
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन  
आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी  
बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक  
शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित  
शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि  
पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद/कौंसिल  
फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो  
उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से  
उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त  
अनुदान स्वतः संपन्न हो जायेंगे ।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण  
संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम  
वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

-----2-----

*Alhasme*

Principal  
Maa Bhagwati Public School  
Vayu Vihar Patholi, Agra  
Affiliation No:-2130812  
School Code-60365

*Shammy*  
Manager

Maa Bhagwati Public School  
Vayu Vihar Colony, Patholi (Agra)